कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस–नोट
(दिनांक 24.08.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

आगामी वी.वी.आई.पी. विजिट के मध्य नजर श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में संदिग्ध वाहनों की चैकिंग, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु दिनांक 23.08.2024 को वक्त 02.00 पी.एम. से 07.00 पी.एम. तक सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानों के द्वितीय अधिकारी मय पुलिस बल को चिन्हित नाकाबंदी पॉइंट पर बाहरी संदिग्ध वाहनों की गहन चैकिंग करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही, विशेष रूप से मॉडिफाइड नंबर प्लेट वाहन एवं काले शीशा लगे वाहनों के खिलाफ एम.वी. एक्ट में चालान कार्यवाही अधिक से अधिक करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

समस्त पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर में दौराने नाकाबंदी अभियान में चिन्हित प्वाइंटों पर थाने के द्वितीय अधिकारी एवं पुलिस बल द्वारा प्रत्येक संदिग्ध वाहनों की गहनता से चैकिंग, उनके लगेज, दस्तावेज आदि का बारीकी से चैक किए गए तथा राजकोप ऐप के माध्यम से फोटो मिलान भी किया गया। इस प्रकार अभियान के दौरान कुल 34 वाहनों का मॉडिफाईड वाहन नंबर प्लेट लगाना पाया जाने पर तथा कुल 30 वाहनों के काले शीशे लगे होने के कारण चालको के विरूद्ध एम.वी. एक्ट में तहत् चालान कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार रात्रिकालीन गश्त के दौरान समस्त पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर में वक्त 12.00 ए.एम. से 05.00 ए.एम. तक कुल 05 काला शीशा लगे वाहन के, 03 बिना नंबरी वाहनों के व कुल 09 अवैध बम्पर लगे वाहनों के विरुद्ध एम.वी. एक्ट में चालान की कार्यवाही तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालें चालकों के विरूद्ध 185 एम.वी. एक्ट में कुल 06 चालान कार्यवाही की गई। एवं दौराने गश्त संदिग्ध वाहनों में कुल 245 वाहनों की चैकिंग की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस–पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व वॉट्सअप नं. 9530440800 पर सूचित करे।

प्रभारी
पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।

2024.08.23 14:25